5/12/18	5/12/18	5/12/18	6/12/18	6/12/18

FOLIO NOT AVAILABLE

स्च्ची प्रतिलिपि अंतिम प्रकाशित खतियान के खेसरा संख्या 1523 ई

खाता नं० 136 .... वार्ड सं० 9 .... जमशेदपुर अधिसूची क्षेत्र, जिला पूर्वी सिंहभूम।

गाँव / थाना — मोहल्ला / पट्टी — परगना — थाना सं० — तौजी सं०

स्वत्वाधारी का नाम और उसकी खेवट संख्या
मध्यवर्ती भू-स्वामी का नाम और उसका खेवट संख्या यदि हो: बिहार सरकार

खतियान की क्रम सं०	अभिधारी का नाम पिता का नाम जाति और निवास	खेत: खेसरा संख्या	खेत: चौहदी	भूमी का स्वरूप	रकवा है० आर० सं०	अभ्युक्ति	गैर नगदी लगान वाले हरेक प्लाट के सामने बताए कि उस पर कब्जा कैसे है: राजस्व पदाधिकारी द्वारा अभिनिश्चित लगान। 1 लगान 2 सेस	बन्दोवस्त उचित लगान यदि हो 1 लगान 2 सेस	(1) अधियोगी रैयत कर हैसियत और कब्जे की अवधि। (2) लगान किस प्रकार नियत किया गया, आरोही (प्रोग्रेसिव हो तो विशिष्टियाँ) (3) कोई विशेष शर्त और अनुषंगत बात यदि हो।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
136	गोलक बिहारी चौधरी वो प्राण वल्लभ चौधरी पिता महेश्वर चौधरी एक अंश समान वो निलमोहन चौधरी पिता गोसाई दास चौधरी एक अंश	1523	उ: गोलक बिहारी द: निमाईचन्द्र दास	गोड़ा दो / 1	0·81·50				नोट सी·एन·टी· एक्ट धारा-85(2)(i) के मुकदमा नं 125(R) सन-99-2000 के आदेशानुसार 1403 रू 15 पै (एक हजार चार सौ तीन रूपये पन्द्रह पैसे) अलावे सेस लगान निर्धारित हुआ। निर्धारित लगान सन 1998-99 से वसूल होगा। ह0 अस्पष्ट राजस्व पदाधिकारी
		1518	उ: बिहार सरकार द: निलमोहन	गोड़ा दो / 1	0·23·90				
		1681		मोरीआल	0·28·60				
		1682		तालाब	1·89·20				
		4			3·23·20		(i) काबिल-लगान		(ii) कायमी

प्रतिलिपिक
हस्ताक्षर
6.12.18

तुलना किया
हस्ताक्षर
6/12/18

Certified to be True Copy
हस्ताक्षर
6/12/18
Head Clerk to the Authorised officer
u/s ... of the ... Act. 1672

यह स्वत्व अभिलेख छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 83(2) तथा बिहार एवं उड़ीसा ... के अन्तर्गत तैयार हुआ और इसका अंतिम प्रकाशन
दिनांक 10 AUG. 1979 ... को किया गया
अंतिम प्रकाशन प्रमाण पत्र दिनांक 18 AUG. 1979
को हस्ताक्षरित हुआ

ह0 अस्पष्ट
बंदोबस्त पदाधिकारी
सिंहभूम